



कर्मचारी राज्य बीमा निगम  
पंचदीप भवन, सी.आइ.जी. मार्ग  
नई दिल्ली - 110 002

सं. ए-40 / विविध / प्र.से.ए. / 2010-लेखा-4

दिनांक: 22.01.2014

सेवा में,

बीमा आयुक्त (राष्ट्रीय प्रशिक्षण अकादमी)  
सभी अपर आयुक्त-क्षेत्रीय निदेशक / प्रभारी संयुक्त निदेशक  
सभी वरिष्ठ राज्य / राज्य चिकित्सा आयुक्त / चिकि.अधी., क.रा.बी.नि. अस्पताल  
निदेशक (चिकि.) दिल्ली / नोएडा,  
संयुक्त निदेशक (स्था.-5), मुख्यालय ।

**विषय: द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए संस्थागत क्रियाविधि का पुनर्योजन ।**


महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे प्रबंध सेवा एकक, मुख्यालय से प्राप्त अनौपचारिक टिप्पणी जिसके साथ श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से प्राप्त हुए पत्र की प्रतिलिपि संलग्न थी, का संदर्भ लेने का निदेश हुआ है । श्रम मंत्रालय ने 2006 से पूर्व के सभी पेन्शनभोगियों सहित समूह 'ग' एवं 'घ' पेन्शनभोगियों के लंबित पेन्शन मामलों से संबंधित जानकारी मांगी है ।

सभी संबंधित से अनुरोध है कि संलग्न प्रपत्र (पिछले पृष्ठ पर) के अनुसार उक्त रिपोर्ट भेज दें ।

चूंकि यह समयबद्ध सूचना है, अतः अनुरोध है कि यह रिपोर्ट लौटते फ़ैक्स या ई-मेल से लेखा शाखा-4, मुख्यालय को संकलन करने एवं मंत्रालय को समय से भेजने हेतु भिजवा दें ।

भवदीय,

  
22/1/14  
(आर.एस. चौहान)  
**संयुक्त निदेशक (वित्त)**

वेबसाइट की विषय-सूची का प्रबंधन.....  
Website Contents Management.....  
साथी सं. / Diary No.....122.....  
दिनांक / Date.....23/01/14.....

**प्रतिलिपि:-**

1. सभी संयुक्त निदेशक(वित्त) / उप निदेशक(वित्त) / उप निदेशक(वित्त) लेखा-3, मुख्यालय को आवश्यक कार्रवाई हेतु ।
2. वेबसाइट सामग्री प्रबंधक को इस अनुरोध के साथ कि उक्त पत्र को क.रा.बी.निगम की वेबसाइट पर अपलोड करें ।

**संयुक्त निदेशक (वित्त)**

वित्त एवं लेखा

क्र.सं.	प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशें	सुपुर्दगी योग्य	मंत्रालय/विभाग द्वारा की गई कार्रवाई												
1	42(6.10.2) शिकायतों की निगरानी करना । सिफारिश सं. 116,117	दिनांक 01.04.2013 की स्थिति के अनुसार क.रा.बी. निगम के पेंशन के लंबित मामलों की स्थिति	<table border="1" data-bbox="1118 403 1506 523"> <tr> <td>1990 से पूर्व के पेंशन मामले</td> <td>1990 से पूर्व परिशोधित</td> <td>1990 से पूर्व परिशोधित</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <table border="1" data-bbox="1118 598 1506 698"> <tr> <td>1990 के बाद के पेंशन मामले</td> <td>1990 के बाद-परिशोधित</td> <td>1990 के बाद-परिशोधित</td> </tr> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </table> <p data-bbox="1129 721 1426 802">कृपया नवीनतम स्थिति से अवगत करवाएं ।</p>	1990 से पूर्व के पेंशन मामले	1990 से पूर्व परिशोधित	1990 से पूर्व परिशोधित				1990 के बाद के पेंशन मामले	1990 के बाद-परिशोधित	1990 के बाद-परिशोधित			
1990 से पूर्व के पेंशन मामले	1990 से पूर्व परिशोधित	1990 से पूर्व परिशोधित													
1990 के बाद के पेंशन मामले	1990 के बाद-परिशोधित	1990 के बाद-परिशोधित													
		ख) क्या सभी कर्मचारियों को पेंशन समय पर दी गई है तथा कितने कर्मचारियों को अनंतिम पेंशन दी गई है ।													